प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2018

विषय- जनपद-लखनऊ में सम्पन्न उत्तर क्षेत्र समन्वय बैठक दिनांक 18.01.2018 पर हुए व्यय की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5241/अ0सं0क0नि0-भा0स0मीटिंग-नार्थजोन/18, दिनांक 15.02.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-लखनऊ में उत्तर क्षेत्र समन्वय बैठक दिनांक 18.01.2018 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मा0 अतिथियों के आगमन के उपरान्त उनकी स्थानीय यात्राओं, जलपान, भोजन, ठहरने के स्थान तथा बैठक की व्यवस्था पर आने वाले व्यय हेतु भारत सरकार के आदेश संख्या-14-3/2017-कोर्ड, दिनांक 15.02.2018 द्वारा धनराशि रू0 14.36475 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि रू0 14.36475 लाख (रूपये चौदह लाख छत्तीस हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) मुख्य लेखाशीर्षक-2235-समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान का कार्यान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-समान्य (गैर वेतन)मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
2- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
3- बैठक दिनांक 18.01.2018 पर हुए व्यय हेतु ही प्रश्नगत धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
4- बैठक पर हुए व्यय सम्बन्धी बिल/बाउचर के अनुरूप ही धनराशि आइटमवार की जायेगी। इस व्यय की सूचना व्यय वाउचर/आइटम सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5- वांछित धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
6- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिस मद/कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-550/दस-2018, दिनांक 31 मार्च, 2018 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या- 903(1)/बावन-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-14-3/2017-कोर्ड, दिनांक 15.02.2018 के क्रम में।
5- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in